जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनाँक 19.05.2025

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6002 द्वारा मारपीट / विवाद में घायल 01 महिला को भेजवाया गया अस्पताल - पीआरवी 6002 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत उमरीकला से कालर ने मारपीट / विवाद में घायल 01 महिला (01.मंजू देवी पत्नी धर्मेन्द्र ग्राम उमरीकला डिहुलिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया,सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर मारपीट / विवाद में घायल उक्त महिला को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेंस की सहाय़ता से सी0एच0सी0 खलीलाबाद भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना को0 खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल को ईलाज हेतु सी0एच0सी0 खलीलाबाद भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- हे0 का0 असगर अली, आरक्षी लल्लन पासवान, हो0चा0 रशीद अहमद।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 109 वाहनों से 1,25,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 19.05.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 109 वाहनों से 1,25,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप नाबालिग से दुष्कर्म के मामलें में अभियुक्त को आजीवन कारावास व 10,000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 19.05.2025 को ***मा0 न्यायालय एएसजे/एसपीजे/पाक्सो एक्ट संतकबीरनगर*** के द्वारा अभियुक्त को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 109/2023 धारा 376(क)(ख) भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त सर्वेश कुमार पुत्र रामअधारे निवासी नगर पंचायत बेलहरकला टोला पनभिरा थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को मुकदमा उपरोक्त धारा 5/6 पाक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास एवं 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा। धारा 376(क)(ख) भादवि एवं 5/6 पाक्सो एक्ट में दण्ड को समान माना जाएगा।